

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2005 के उपरान्त प्रधान ग्राम पंचायत तथा सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना 1792/रा०नि०आ०-२/७३८/२००७ दिनांक 20.09.2008 निर्गत होने के साथ ही तात्कालिक प्रभाव से जनपद की संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी की जाती है।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1793(1)/रा०नि०आ०अनु०-२/७३८/२००७ तद॒दिनांक। (फैक्स)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, माठमुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

ह०.

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।